

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- मु० ३०-४ (मु०) रा० यो०-०३-१७०/२०२० ~ ३१४९

/पटना, दिनांक- ५ १९ १२०२२

प्रेषक,

संजय दूबे भा० प्र० से०  
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

**विषय:-** योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, राजगीर के अधीन राजगीर प्रखंड के बरैनी मोड़ से भंडार कोना आई० टी० आई० होते हुए आहर तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई ०.३५० कि० मी० निर्माण हेतु रु० ३९.४१८ लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि २.३६२ लाख अर्थात् कुल राशि ४१.७८ लाख (एकतालिस लाख अठहतर हजार रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में बिहार राज्य के नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, राजगीर के अधीन राजगीर प्रखंड के बरैनी मोड़ से भंडार कोना आई० टी० आई० होते हुए आहर तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई ०.३५० कि० मी० निर्माण हेतु रु० ३९.४१८ लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि २.३६२ लाख अर्थात् कुल राशि ४१.७८ लाख (एकतालिस लाख अठहतर हजार रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड- ३७-४५१५००१०३०१०५ है, के अन्तर्गत वित्तीय उप २०२०-२१ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में ३००.०० करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन। प्रत्येक माह के पांच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, नालंदा १३ गुरुशा अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० ३०-४ (मु०) रा० यो० नाबाड़-०३-११९/२०१४ के पू० सं०-३८/टि० पर दिनांक ०२.०९.२०२० को किया गया।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० ३०-४ (मु०) रा० यो० नाबाड़-०३-१७०/२०२० के पू० रा०-०३/टि० पर प्राप्त है।
10. ब्राढ़ा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि को निकारी की जायेगी।

५१५०८०

- कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टिताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अधारस्थ पाठ्यान्तरिक किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
- यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0 03-170 /2020 के पृ० सं0- 6 /टि० पर दिनांक ५.९.२०२० को प्राप्त है।
- यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्णविनियोजित की गयी है, अन्य मद गें नहीं।
- प्राक्कलन की विशिष्टिताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियन्त्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन गें अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
- वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित विषय गथा है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु भाव उ को भेजी जाये।

विश्वासाभाजन

५/९/२०२०

(राज्य संघ)

अपर सचिव

/पटना, दिनांक- ५/९/२०२०

ज्ञापांक- मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0-03-170 /2020 - ३/८९

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५/९/२०२०

अपर सचिव

/पटना, दिनांक- ५/९/२०२०

ज्ञापांक- मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0-03-170 /2020 - ३/८९

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५/९/२०२०

अपर सचिव

/पटना, दिनांक- ५/९/२०२०

ज्ञापांक- मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0-03-170 /2020 - ३/८९

प्रतिलिपि- गाननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सदिक एवं दिवस विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/उप विकास, आयुक्त नालंदा/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पार्ड ऑफिसर ब्रांडा/मुख्य अभियंता-1, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 30-4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, नालंदा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, नालंदा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, राजगीर/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या काम्पलेक्स पॉचवी मंजिल) डाक बांगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को गिरावीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५/९/२०२०

अपर सचिव